...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। व हुक्म उपस्थित। मुकुलाक के मुताबिक अंतिम डिक्री पारित की जाती है डिस्ट्रिक्ट निर्णय पृथक से खिलाफ जारी आज्ञप्ति किया गया। कुर्क वास्ते रिपोर्ट तलब होकर पत्रावली दिनांक 25.5.18 को पेश हो। [signature] 5.2018	
5.18	पत्रावली पेश हुई। मुकुलाक उपस्थित। तहसील से कुर्क रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुकुलाक के कोई आपत्ति कुर्क रिपोर्ट पर नहीं है। अतः मुताबिक कुर्क रिपोर्ट बटवारा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। मुताबिक डिस्ट्रिक्ट निर्णय पृथक से खिलाफ जारी आज्ञप्ति किया गया। पत्रावली के सलग्न [illegible] होकर रिकार्ड में जमा हो [illegible]। [signature] 5.2018	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/433/15

बउनवान

1. बुद्दी पुत्र संतोकी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
2. सुरेश पुत्र संतोकी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
3. रामवतार पुत्र विस्सू जाति जाटव निवासी टिटपुरी

तहसील कठूमर जिला अलवर

--- वादीगण

वनाम

1. हीरालाल पुत्र सुखचन्दी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
2. श्रीचन्द पुत्र सुखचन्दी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
3. फूलवती पुत्री सुखचन्दी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
4. उप पंजीयक कठूमर

तहसील कठूमर जिला अलवर

असल प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

तर0 प्रतिवादी

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री राधेश्याम चौधरी ':- अधिवक्ता वादीगण

श्री सुभा ाचन्द 'अरूंवा':- अधिवक्ता प्रति0सं0 1-2

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 173 तर्फ उत्तर रकवा 0.47 हे. 175 रकवा 0.02 हे. मध्य किता 2 रकवा 0.49 हे. ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी वादी सं0 1-2 के 1/3 हिस्सा वादी संख्या 3 के 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ला03 के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

1/3 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1–2 की ओर से श्री सुभाशचन्द 'अर्रूवा' एडवोकेट हाजिर हुये। प्रतिवादनी संख्या 3 दिनांक 23.05.2013 को बाबजूद तामील हाजिर नहीं आई जिसके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1–2 को बार बार जवाव दावा पेश करने का अवसर दिया गया।

वादीगण ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 प्रदर्श 1 वाके ग्राम टिटपुरी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में स्वंय वादी बुद्दी पी डब्ल्यू 1 के वयान लेखवद्व कराये है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज़ है। विवादित आराजी का कानूनी तकासमाकर दिया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी ने वादीगण के तथ्यों का विरोध किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाह का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 में विवादित आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की ाामलात खातेदारी में दर्ज है। कानूनन ाामलात खातेदारी की आराजी में प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा होता है। पी डब्ल्यू 1 गवाह बुद्दी ने अपने वयानों में विवादित आराजी पर शामलात में कब्जा काश्त होना कथन किया है। विवादित आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी पर शामलात कब्जें काश्त का अनुमान किया जाता है। पत्रावली के तथ्यों

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाहान के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 173 तर्फ उत्तर रकवा 0. 47 हे. व खसरा नम्बर 175 मध्य रकवा 0.02 हे. किता 2 रकवा 0.49 हे. वाके ग्राम टिटपुरी प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते हे कि वो उक्त आराजी पर मौके पर पहुॅच कर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी वुरी में से वुरी आराजी का नियमानुसार तकासमा(विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर न्यायालय में पेश करें। ताकि वाद अंतिम रूप डिकी किया जा सके।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 08.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/433/15

बउनवान

1. बुद्दी पुत्र संतोकी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
2. सुरेश पुत्र संतोकी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
3. रामावतार पुत्र संतोकी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
   तहसील कठूमर जिला अलवर

—— वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र सुखचन्दी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
2. श्रीचन्द पुत्र सुखचन्दी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
3. फूलवती पुत्री सुखचन्दी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
   तहसील कठूमर जिला अलवर
4. उप पंजीयक कठूमर

असल प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

तर0 प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री राधेश्याम चौधरी :– अधिवक्ता वादीगण

श्री सुभाषचन्द 'अरूवा' :– अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1–2

श्री गिरधारीलाल शर्मा :– अधिवक्ता प्रति0सं0 2

निर्णय

दिनांक 25.05.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 173 तर्फ उत्तर रकवा 0.47 हे. 175 रकवा 0.02 हे. मध्य किता 2 रकवा 0.49 हे. वाके ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी वादी सं0 1–2 के 1/3 हिस्सा वादी संख्या 3 के 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ला03 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने बावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया।,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1– 2 हाजिर अदालत हुये व प्रतिवादी संख्या 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जाकर वाद वादीगण दिनांक 02.05.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया गया। निर्णय की पालना में तहसीलदार कठूमर द्वारा हाजिर अदालत होकर अपनी कुरेजात रिपोर्ट पेश की है जिस कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 173 रकवा 0.15 हे. चा0दो0 प्रतिवादी हीरालाल पुत्र सुखचन्दी फूलवती पुत्री सुखचन्द हिस्सा 2/3 व रामेश्वर पुत्र भागचन्द को 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 173/1 रकवा 0.16 हे. चा0दो0 वादीगण वुददीलाल, सुरेशचन्द पि0 संतोकी कौम जाटव को खसरा नम्बर 173/3 रकवा 0.16 हे. चा0दो0 वाके ग्राम टिटपुरी वादी रामावतार पुत्र विस्सू को तकसीम में दिये जाते है तथा आराजी खसरा नम्बर 175 रकवा 66 वर्ग मीटर प्रतिवादी हीरालाल श्रीचन्द पुत्रान सुखचन्दी फूलवती पुत्री सुखचन्द कौम जाटव स0भाग, खसरा नम्बर 175/1 रकवा 0.67 वर्ग मीटर वादी वुद्दीलाल सुरेशचन्द पि0 संतोकी को व खसरा नम्बर 175/2 रकवा 0.67 वर्ग मीटर वादी रामावतार पुत्र विस्सू जाति जाटव निवासी टिटपुरी को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर कों आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 25.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/433/15

बउनवान

1. बुद्दी पुत्र संतोकी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
2. सुरेश पुत्र संतोकी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
3. रामवतार पुत्र विस्सू जाति जाटव निवासी टिटपुरी

तहसील कठूमर जिला अलवर

—— डिक्रीदारान

बनाम

1. हीरालाल पुत्र सुखचन्दी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
2. श्रीचन्द पुत्र सुखचन्दी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
3. फूलवती पुत्री सुखचन्दी जाति जाटव निवासी टिटपुरी
4. उप पंजीयक कठूमर

तहसील कठूमर जिला अलवर

मदयूनान

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

तर0 प्रतिवादी

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 173 रकवा 0.15 हे. चा0दो0 प्रतिवादी हीरालाल पुत्र सुखचन्दी फूलवती पुत्री सुखचन्द हिस्सा 2/3 व रामेश्वर पुत्र भागचन्द को 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 173/1 रकवा 0. 16 हे. चा0दो0 वादीगण वुददीलाल, सुरेशचन्द पि0 संतोकी कौम जाटव को खसरा नम्बर 173/3 रकवा 0.16 हे. चा0दो0 वाके ग्राम टिटपुरी वादी रामावतार पुत्र विस्सू को तकसीम में दिये जाते है तथा आराजी खसरा नम्बर 175 रकवा 66 वर्ग मीटर प्रतिवादी हीरालाल श्रीचन्द पुत्रान सुखचन्दी फूलवती पुत्री सुखचन्द कौम जाटव स0भाग, खसरा नम्बर 175/1 रकवा 0.67 वर्ग मीटर वादी वुददीलाल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

सुरेशचन्द पि0 संतोकी को व खसरा नम्बर 175/2 रकवा 0.67 वर्ग मीटर वादी रामावतार पुत्र विस्सू जाति जाटव निवासी टिटपुरी को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर कों आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 25.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner